24/6/15

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत/ मेगा कोर्ट अदल सेवा केन्द्र प्रार्थना पत्रावली पर प्रस्तुत हुयी। वादी कमलेश उपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो जाने से इस प्रार्थना पत्र के चलने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो तथा शामिल मूल वाद हो।

[signature]

Scanned by CamScanner